FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत .... उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम ....

.... सुभाष चंद .... बनाम सरकार

किस्म मुकदमा दावा .... नं. ....105.... सन् ....2020....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
14/9/20	आज यह दावा अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. व 136 L.R.Act. का कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जा कर मिसल दिनांक 8.10.20 को पेश हो। (ह.) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
8/10/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं। मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 01-12-20 को पेश हो (ह.)	
2/12/20	दिनांक 1-12-20 को मतदान दिवस अवकाश होने के कारण मिशल आज पेशी में ली गई।	
2/12/20	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 15-1-21 को पेश हो। (ह.)	
15/1/21	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ.साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 11-3-21 को पेश हों जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल मिशल रहे। (ह.)	
11/3/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. व 136 LRAct. के तहत इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि खसरा नं० 100, 44, 85, 91	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व [illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी
	कुल तादादी 32.48 है० रोही मौजा ढाणी खुडानी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी का अशुद्ध नाम सुभाष दर्ज है तथा वादी के पहचान के अन्य दस्तावेजात में शुद्ध नाम सुभाषचन्द है। अतः जमाबन्दी में शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जावे। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार राजगढ़ से प्राप्त जाँच रिपोर्ट से प्रकरण के तथ्यों की पुष्टि होती है तथा तहसीलदार राजगढ़ द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में नाम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण खातेदार के नाम की अशुद्धि का है तथा अनुतोष धारा 136 L.R.Act. के अन्तर्गत आता है अतः वाद को धारा 136 L.R.Act. के तहत पाया जाने से प्रकरण को आंशिक रूप से धारा 136 L.R.Act. के अनुतोष की हद तक स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सुभाष के स्थान पर सुभाषचन्द दर्ज कर शुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू को परवाना जारी हो। मिसल फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	